दिनांक–11.11.2025

पत्रावली पेश हुई। अपीलांट मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। विपक्षी की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

अपीलान्ट की ओर से प्रार्थनापत्र 179 ग प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि उक्त पी.ए. वाद को आवेदक द्वारा ठाकुर जी की वास्तविक आवश्यकता हेतु प्रश्नगत दुकान को खाली कराने हेतु प्रस्तुत किया है, परंतु दौरान अपील आवेदक द्वारा जिस कार्यालय की आवश्यकता हेतु वाद प्रस्तुत किया था, वह कार्यालय आवेदक द्वारा मंदिर परिसर में ही बना लिया है और जहाँ से आवेदक समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति बैठकर करता है। आवेदक को अब प्रश्नगत दुकान की कोई आवश्यकता नहीं रह गई है। ऐसी स्थिति में आवेदक द्वारा उक्त कथनों को न्यायालय के समक्ष छिपाया है, जिस कारण मौके की वास्तविक स्थिति को न्यायालय के समक्ष मंगाया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः अपीलांट द्वारा उक्त के आलोक में अदालत अमीन/कमिश्नर द्वारा मौके का निरीक्षण कराया जाकर मौके की रिपोर्ट मय पैमाइश मंगाये जाने की याचना की गयी है।

विपक्षी की ओर से उक्त प्रार्थनापत्र पर कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी है।

सुना व पत्रावली का अवलोकन किया है।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि उक्त पी०ए० अपील न्यायालय के समक्ष विचारण न्यायालय में लम्बित पी०ए० वाद संख्या 22/2014 ठाकुर अन्नपूर्णआ देवी बनाम श्रीमती शकुंतला देवी आदि में पारित निर्णय दिनांकित–04.11.2023 के विरूद्ध योजित की गयी है, जिसमें विचारण न्यायालय द्वारा पी०ए०वाद संख्या 22/2014 को निरस्त कर दिया गया। चूँकि अपीलार्थी द्वारा प्रार्थनापत्र के माध्यम से पी०ए० अपील के आलोक में अमीन/कमिश्नर द्वारा मौके का निरीक्षण कराया जाकर मौके की रिपोर्ट मय पैमाइश मंगाये जाने की याचनी की गयी है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त तथ्यों के आधार पर प्रश्नगत आदेश दिनांकित–04.11.2023 पारित किया गया, जिसको अपीलीय न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गयी है, जिसके संबंध में अपीलीय न्यायालय को विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के प्रकाश में आदेश पारित किया जाना है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी द्वारा प्रार्थनापत्र में उठाये गये तथ्यों अमीन /कमिश्नर द्वारा मौके का निरीक्षण कराया जाकर मौके की रिपोर्ट मय पैमाइश मंगाये जाने का कोई न्यायोचित आधार प्रतीत नहीं होता है। तद्नुसार प्रार्थनापत्र 179 ग अपीलीय स्तर पर पोषणीय न होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थनापत्र 179 ग निरस्त किया जाता है। पत्रावली वास्ते अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु दिनांक–––––को पेश हो।

अपर जिला न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या–06, मथुरा

Digitally signed by Neelam Dhaka
Date: 2025.11.11 15:54:29 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court